कार्यालय - उप वन संरक्षक जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उरई

पत्रांक - 2274 / 334 / उरई, दिनांक , फ़रवरी 28 , 2018

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक ,
उप केंद्र/लाइन निर्माण पावरग्रिड
उरई ।

विषय: 765के. वी. डी./सी. उरई-अलीगढ़ टी.इ. 06 पारेषण लाइन के निर्माण में प्रस्तावित जालौन वन प्रभाग की 0.268हे. संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मार्ग पटरियों पर खड़े 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में

सन्दर्भ: विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र सं पी 131/14-2-2107-800(125)2017
वन एवं जीव अनुभाग 2 दिनांक 17.01.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 765के. वी. डी./सी. उरई अलीगढ़ पैकेज टी.इ. 06 पारेषण लाइन के निर्माण में प्रस्तावित जालौन वन प्रभाग की 0.268हे. संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मार्ग पटरियों पर खड़े 05 वृक्षों के पातन की सैधांतिक स्वीकृति उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित शर्तों के साथ प्रदान की गयी है । उक्त शर्तों के अनुपालन हेतु निम्नानुसार आख्या /कार्यवाही सुनिश्चित करे ,जिससे प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके:-

शर्त सं. 2	प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि	507000.00
शर्त सं. 3	प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि	255200.00
शर्त सं. 4	शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं एन.पी.वी.की धनराशि रु.में	167768.00
	योग	**929968.00**

(नौ लाख उन्तीस हजार नौ सौ अरसठ रूपये मात्र)

1.उक्त धनराशि को इ-पोर्टल के माध्यम से जमा करा कर आन लाइन इ–रशीद के साथ अनुपालन आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ।

2. इस आशय का वचन वद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे की यदि एन.पी.वी.की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता द्वारा जमा की जाएगी ।

बिंदु सं.1 - शर्त सं. 2,3,4 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार मदवार जमा की गयी धनराशि की आन लाइन रशीद /आर.टी. जी. एस. (जो भी लागु हो) की छाया प्रति सहित सैधांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण प्रेषित करे ।

बिंदु सं. 2 - शर्त सं. 5 से 23 के अनुपालन में सम्बंधित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करे ।उपरोक्तानुसार सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या तत्काल प्रस्तुत करे जिससे प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके ।

भवदीय

(बी.आर.अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी
जालौन सा.वा., वन प्रभाग उरई

पृ. सं. / समदिनांक ।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ. प्र. लखनऊ
2. वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक बुंदेलखंड वृत्त उ. प्र. झाँसी

(बी.आर.अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी
जालौन सा.वा., वन प्रभाग उरई